माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्याल

(मध्य प्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)

MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICAT

(Setup by Act No.15, 1990 of M.P.Legislative Assembly)

क्रमाक /260 /नामांकन /2012 | भोपाल, दिनांक 27/01/2012

अधिसूचना

सत्र जनवरी, 2012 में विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में छात्र नामांकन/पंजीयन

सत्र जनवरी, 2012 में विश्वविद्यालय के **कम्प्यूटर** पाठ्यक्रमों में प्रथम बार प्रवेश लेने वाले छात्रों के नामांकन/पंजीयन फार्म एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड के माध्यम से **ऑनलाइन** भरे जावेंगे। छात्रों के नामांकन/पंजीयन के संबंध में निम्नलिखित नियम/दिशा–निर्देश निर्धारित एवं अधिसूचित किए जा रहे हैं।

1. विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं द्वारा छात्रों के नामांकन/पंजीयन फार्म एवं नामांकन/पंजीयन शुल्क एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से भरे जाएँगे।

2. सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को प्रवेशित छात्रों के फार्म **ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य** है। जिन छात्रों के ऑनलाइन फार्म नहीं भरे जावेंगे उनका नामांकन/पंजीयन नहीं किया जावेगा। ऑनलाइन फार्म जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय के **नामांकन विभाग में** ऑनलाइन भरे गये, भुगतान किए गए **नामांकन/पंजीयन फार्म का प्रिंटआउट तथा निर्धारित आवश्यक दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है।**

3 नामांकन/पंजीयन फार्म एवं छात्र नामांकन/पंजीयन शुल्क एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **07 मार्च 2012** है। ऑनलाइन फार्म दिनांक 07–03–2012 की रात्रि 12.00 बजे तक ही स्वीकार किये जाएँगे। छात्र नामांकन/पंजीयन शुल्क **रेग्यूलेशन क्रमांक 18, 2008** के अनुसार देय है।

4. प्रत्येक ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म के साथ **पोर्टल शुल्क रुपये 16.00/–(सोलह रुपये) की राशि ऑनलाइन देय है।** पोर्टल शुल्क अध्ययन संस्थाओं द्वारा वहन किया जावेगा।

5. अध्ययन संस्थाओं का दायित्व है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों से ज्यादा प्रवेश न दें। जो संस्थाएँ **नो एडमीशन केटेगरी** (No Admission Category) में हैं, उनसे नामांकन/पंजीयन फार्म स्वीकार नहीं किए जावेंगे।

6. नामांकन/पंजीयन फार्म में वांछित सभी प्रविष्टियाँ **सही भरी जावें** और कोई भी वर्ग रिक्त न छोड़ें। छात्र का **नवीनतम फोटो** (ब्लैक एण्ड व्हाइट) एवं संबंधित अभ्यर्थी के हस्ताक्षर ऑनलाइन फार्म में अपलोड किए जावें। विद्यार्थी का 10+2 की अंकसूची में मुद्रित नाम ही ऑनलाइन फार्म में भरा जावे (यदि वर्तमान नाम/सरनेम 10+2 अंकसूची से भिन्न है तो उस स्थिति में वर्तमान नाम भरते हुए, पृथक से नामांकन विभाग में इस आशय का नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ–पत्र प्रस्तुत करें)। ऑनलाइन फार्म भरने के उपरांत, ऑनलाइन पेमेन्ट जमा करने के पूर्व, सभी प्रविष्टियाँ एवं फोटो चैक की जावे एवं यदि कोई त्रुटि हो तो सुधार कर लिया जावे। समस्त प्रविष्टियाँ चैक करने के उपरांत ही ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म जमा (Submit) किया जावे। ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म जमा प्रक्रिया में केवल भुगतान हो चुके (जिनका Transaction I.D. एवं Bar Code जनरेट हुआ है) नामांकन/पंजीयन फार्म ही जमा माने जाएँगे एवं उनका नामांकन/पंजीयन किया जाएगा। ऑनलाइन फार्म जमा होते ही अस्थायी नामांकन/पंजीयन क्रमांक जनरेट होगा। विश्वविद्यालय द्वारा दस्तावेजों के [illegible]

[illegible]

(b) राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण/राज्य अथवा केन्द्र सरकार/AIU/UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्र को ही प्रवेश दिया जावे। 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण से है; पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा।

(c) विद्यार्थी द्वारा उत्तीर्ण किसी अन्य परीक्षा/उपाधि की **समकक्षता**, विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित अर्हताधारी परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित करने का दायित्व एवं आवश्यक अभिप्रमाणित दस्तावेज, अधिसूचना आदि प्रस्तुत करने का दायित्व अध्ययन संस्था प्रभारी एवं संबंधित छात्र का होगा। **विश्वविद्यालय द्वारा** समकक्षता मान्य करने अथवा न करने तथा प्रवेश प्रदान करने/न करने के संबंध में **लिया गया निर्णय ही अंतिम होगा।**

(d) यदि किसी छात्र के अध्ययन में कोई अंतराल (Gap) है, तो संबंधित अवधि को स्पष्ट करने वाले शपथ-पत्र (Affidavit) की, नोटरी द्वारा सत्यापित **मूल** प्रति, नामांकन/पंजीयन फार्म के प्रिंटआउट के साथ संलग्न करें।

(e) स्नातक (Bachelor) एवं स्नातकोत्तर (Master) पाठ्यक्रमों के लिए स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (T.C.) एवं विश्वविद्यालय/बोर्ड के माइग्रेशन प्रमाण-पत्र (Migration) की **मूल** प्रति संलग्न की जाए। **पात्रता** संबंधी **दस्तावेज (Marksheet)** की सत्यापित **छायाप्रति** संलग्न की जावे।

डिप्लोमा (Diploma) पाठ्यक्रमों के लिए **पात्रता** संबंधी **दस्तावेज (Marksheet)** की सत्यापित **छायाप्रति** संलग्न की जावे।

(f) प्रवेश के समय विद्यार्थी का अर्हता परीक्षा **उत्तीर्ण होना आवश्यक** है। नामांकन/पंजीयन फार्म के साथ प्रस्तुत अर्हता परीक्षा की अंकसूची मे छपी तिथि के आधार पर ही प्रवेश मान्य/अमान्य किया जावेगा।

(g) विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति लिखित में प्राप्त किये बिना अंतरराष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश न दिये जावे। अंतरराष्ट्रीय/विदेशी छात्रों को प्रवेश देने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध नियम **Regulation No.19** देखें एवं पालन सुनिश्चित करें।

8. ऑनलाइन नामांकन/पंजीयन फार्म जमा करने के पश्चात प्रत्येक **नामांकन/पंजीयन फार्म के प्रिन्टआउट के साथ, सभी आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज**, विश्वविद्यालय के **नामांकन विभाग** में अंतिम तिथि **14 मार्च 2012** तक **स्वयं/डाक** द्वारा, **जमा करना अनिवार्य** है। सभी फार्म एक साथ भेजे जावें। छात्र का नामांकन/पंजीयन फार्म ऑनलाइन जमा होने के उपरांत, यदि उसका प्रिंटआउट तथा नामांकन/पंजीयन संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज नियत तिथि तक प्राप्त नहीं होते हैं/अपूर्ण प्राप्त होते हैं या छात्र अपात्र पाया जाता है या नियमों की पूर्ति नहीं की जाती है, तो संबंधित छात्र का नामांकन/पंजीयन निरस्त करने का/प्रवेश पत्र रोकने का/परीक्षा परिणाम घोषणा रोकने (Witheld) का अधिकार विश्वविद्यालय को होगा। स्वयं/डाक द्वारा नामांकन/पंजीयन फार्म एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने **की स्थिति** में अध्ययन संस्था के साथ पत्र व्यवहार करने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।

9. नामांकन शाखा में नियत तिथि तक निम्नानुसार आवश्यक **दस्तावेज, स्वयं/डाक** द्वारा, **जमा करना अनिवार्य** है :-

(a) संस्था के लैटर हेड पर कवरिंग लैटर, जिसमें पाठ्यक्रमवार- नामांकन क्रमांक के अनुक्रम में, नामांकित छात्रों की **सूची** हो।

(b) ऑनलाइन नामाकंन फार्म के **सुस्पष्ट प्रिंटआउट**, जो संस्था प्रभारी द्वारा सत्यापित (हस्ताक्षरित, सील सहित) हों, तथा पाठ्यक्रमवार-नामांकन क्रमांक के अनुक्रम में जमे हुए हों।

(c) **परिशिष्ठ- "A"** अनुसार सभी नामांकित छात्रों के आवश्यक पात्रता संबंधी एवं अन्य **दस्तावेज**, जो संस्था प्रभारी द्वारा **सत्यापित** हो।

(d) नामांकित छात्रों की **दो स्व-सत्यापित फोटो**।

(e) नाम/सरनेम परिवर्तन के प्रकरण में नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र।

(f) संस्था के लैटर हेड पर **परिशिष्ठ - "B"** अनुसार घोषणा पत्र (Declaration), जो संस्था प्रभारी तथा समिति के सचिव/अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित-सील सहित हो (प्रारूप इस अधिसूचना के साथ संलग्न है)।

10. एक बार छात्र का किसी पाठ्यक्रम में नामांकन/पंजीयन फार्म ऑनलाइन जमा होने (Payment) के उपरांत किसी भी परिस्थिति में **पाठ्यक्रम परिवर्तन मान्य नहीं किया जाएगा।** विश्वविद्यालय में नामांकन/पंजीयन आवेदन ऑनलाइन जमा करने के पश्चात् **नामांकन/पंजीयन शुल्क वापस/समायोजित नहीं होगा।**

11. नामांकन/पंजीयन होने के उपरांत यदि नाम या फोटो में कोई त्रुटि हो तो ऐसी स्थिति में (1) नाम संशोधन के लिए हाई स्कूल और हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति (2) फोटो संशोधन के लिए सत्यापित फोटो आई.डी. प्रमाण (लायसेंस, वोटर आई.डी. इत्यादि) एवं मूल फोटो प्रस्तुत करना आवश्यक है। नाम/सरनेम परिवर्तन की दशा में 10/– (दस रुपये) रुपये के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित मूल शपथ पत्र नामांकन फार्म के साथ संलग्न करें। त्रुटि सुधार के लिए प्रत्येक त्रुटि संशोधन के लिए रुपये 100/– (एक सौ) बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देय है।

12. संबद्ध अध्ययन संस्था यह सुनिश्चित करे कि ऑनलाइन भरे गए नामांकन फार्म का प्रिन्ट, वांछित दस्तावेज के साथ पृथक बंद लिफाफे में सहायक कुलसचिव (नामांकन), माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, बी–38 विकास भवन, जोन–1, एम.पी. नगर, भोपाल–462011 के नाम से भेजें। लिफाफे पर **'नामांकन फार्म'** अवश्य अंकित करें। नामांकन शाखा का ई–मेल enrollsection@yahoo.co.in है। नामांकन सम्बन्धी अन्य जानकारी के लिए सहायक कुलसचिव (नामांकन) से सम्पर्क किया जा सकता है।

13. यदि ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने में कोई तकनीकी समस्या हो तो कृपया एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड के कस्टमर केयर दूरभाष क्रमांक 0755–4019401 से 06 पर संपर्क करें।

14. अध्ययन संस्थायें अंतिम तिथि 07 मार्च 2012 तक ऑन लाइन नामांकन/पंजीयन फार्म भरने का इंतजार न करें। एम.पी.ऑनलाइन का पोर्टल खुलते ही ऑनलाइन फार्म भरना सुनिश्चित करें । किसी प्रकार के तकनीकी कारण अथवा अन्य कारण से हुए विलम्ब के लिए अंतिम तिथि में छूट नहीं दी जावेगी एवं संस्था इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी।

15. विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/सूचना वेबसाइट www.mcu.ac.in पर उपलब्ध करायी जाती हैं। सभी अध्ययन संस्थाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mcu.ac.in समय–समय पर अवश्य देखें। वेबसाइट पर निर्देश/सूचना उपलब्ध होने की स्थिति में उसे **घोषित** माना जावेगा एवं उसका पालन अध्ययन संस्थाओं से अपेक्षित होगा। अध्ययन संस्थाओं को डाक द्वारा प्रति भेजने हेतु विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है।

16. नामांकन/पंजीयन फार्म में अपूर्ण, असत्य, त्रुटिपूर्ण जानकारी दी जाने अथवा इस अधिसूचना में उल्लेखित नियमों का अनुपालन नहीं किए जाने की दशा में विश्वविद्यालय अध्ययन संस्था के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा। तथा इस हेतु संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

विश्वविद्यालय की सम्बद्ध अध्ययन संस्थाएँ उपरोक्त नियमों का पालन सुनिश्चित करें।

संलग्न:-

1. अर्हता एवं दस्तावेजों की सूची (परिशिष्ठ– "A")
2. घोषणा पत्र (Declaration) (परिशिष्ठ– "B")

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
उपकुलसचिव

प्रतिलिपि– C 11/30/1/2012

1. कुलसचिव, मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
2. निदेशक, ए.एस.आई., मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
3. परीक्षा नियंत्रक, मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव, परीक्षा मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, परीक्षा, मा.च.रा.प.सं वि.वि., को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सहा. कुलसचिव, गोपनीय, मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
7. प्रमुख, वाणिज्य विकास, एम.पी.ऑनलाइन लि. भोपाल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. प्रभारी, वेबसाइट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
9. निज सचिव, कुलपति मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
10. निज सचिव रेक्टर, मा.च.रा.प.सं वि.वि., को सूचनार्थ।
11. समस्त सम्बद्ध अध्ययन संस्थाओं को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
उपकुलसचिव

परिशिष्ठ– 'A'

विश्वविद्यालय के कम्प्यूटर पाठ्यक्रमों हेतु निर्धारित पात्रता (Eligibility) एवं अधिसूचना के 9(c) के दस्तावेजों की सूची

स.क्र. S.No.	कम्प्यूटर / आई.टी. पाठ्यक्रम (Computer/ IT Courses)	पाठ्यक्रम का कोड (Course Code)	वांछित पात्रता (Eligibility)	पात्रता अंकसूची की सत्यापित छाया प्रति (Photo copy of Attested Marksheet)	मूल दस्तावेज (Original Documents)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मास्टर ऑफ साइंस (इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी) [M.Sc.(IT)]	103	B.E. (Computer)/ B.Tech(Computer)/ B.I.T/ BCA/ B.Sc.(IT)/ B.Sc.(Computer)/ Graduation (Any Discipline) with PGDCA	As per Column No. 3	Original Migration/ Gap Certificate
2	मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस) [M.Sc.(C.S.)/(BP)]	129	Graduation (Any Discipline)	As per Column No. 3	Original Migration/ Gap Certificate
3	मास्टर ऑफ साइंस (कम्प्यूटर साइंस) लेटरल एंट्री [M.Sc.(C.S.)/(LE)]	990	Graduation (Any Discipline) with PGDCA	As per Column No. 3	Original Migration/Gap
4	बैचलर ऑफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन [BCA]	14	10+2 Or Equivalent	As per Column No. 3	Original T.C./Migration/ Gap Certificate
5	बैचलर ऑफ साइंस (इन्फॉरमेशन टेक्नौलॉजी) [B.Sc.(IT)]	104	10+2 with Maths / * 3 Year Polytechnic Diploma	As per Column No. 3	Original T.C./Migration/ Gap Certificate
6	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [PGDCA]	16	Graduation (Any Discipline)	As per Column No. 3	-------
7	डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन [DCA]	17	10+2	As per Column No. 3	-------

* बीएससी (आई.टी.) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्हता के लिए तकनीकी शिक्षा से मान्यता प्राप्त तीन वर्षीय पॉलीटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम को मान्यता प्रदान की गई है, परंतु डिप्लोमा में उच्च गणित एक विषय के रूप मे उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा एवं इसके अभिप्रमाणन हेतु अध्ययन केन्द्र प्रभारी के माध्यम से छात्र को घोषणा करनी होगी।

नोट– 10+2 से आशय नई शिक्षा प्रणाली से हायर सेकण्ड्री (10+2) उत्तीर्ण से है। पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण छात्रों को 10+2 के समकक्ष नहीं माना जावेगा।

(दीपेन्द्र सिंह बघेल)
उपकुलसचिव

परिशिष्ठ– **'B'**

(अध्ययन संस्था के लैटर हेड पर दिया जावे)

(To be submitted on letterhead of Study Institute)

DECLARATION

1. I have filled Online Enrollment Forms for the January 2012 academic session for students as follows:

Name of Course	No. of admitted students
------------------------------	------------------------------------
------------------------------	------------------------------------
------------------------------	------------------------------------
------------------------------	------------------------------------

2. I have verified the eligibility of all admitted students.
3. I have checked all essential documents of all students admitted at my Institute as per Notification No..............Dated................ . All entries in the Enrolment Forms of students have been filled-in by me after verifying the same from documents of students.
4. In case the University finds any students admitted at my study institute ineligible, or in any case of violation of rules, I shall be held solely responsible for the same and shall bear the consequences.

Date:-

(Signature of Study Institute)
Director/In-charge)

Place:-

(Seal of Study Institute)

I verify all the above stated facts and signature of the Study Institute Director/In-charge.

(Signature of President/Secretary of Society)

(Seal of Society)